भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4290

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और सेवाएं

†4290. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना में सुधार करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) एक अध्ययन के अनुसार, सरकार द्वारा डॉक्टरों में मानसिक स्वास्थ्य संकट का किस प्रकार समाधान किए जाने की संभावना है क्योंकि उनमें से लगभग 30 प्रतिशत चिकित्सकों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अवसाद की सूचना है; और
(ग) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली मानस)" शुरू किया है। दिनांक 22.11.2024 तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 15,95,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया गया है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अर्थात् 10 अक्टूबर, 2024 को टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मन: प्रभावी पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

देश में किफायती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग सुविधा का प्रावधान है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में पीजी विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 पीजी विभागों को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोरोग संस्थान, रांची शामिल हैं। सभी एम्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ये सेवाएं भी पीएमजेएवाई के तहत उपलब्ध हैं।

सरकार वर्ष 2018 से तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि कर रही है। डिजिटल अकादमियों के तहत प्रशिक्षित पेशेवरों की कुल संख्या 42,488 है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 66 संस्थान/विश्वविद्यालय एम.फिल. क्लीनिकल साइकोलॉजी पाठ्यक्रम चला रहे हैं। परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बीएससी

क्लीनिकल साइकोलॉजी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम शुरू किया है और क्लीनिकल साइकोलॉजी में अधिक पेशेवर विकसित करने के लिए 19 विश्वविद्यालयों को यह पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और छात्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय लागू किए गए हैं:

i. फरवरी, 2024 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एंटी-रैगिंग समिति द्वारा मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर गठित 15 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने मेडिकल छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्रीकृत रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना, सहायक वातावरण को बढ़ावा देने, प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन आदि की सिफारिश की।

ii. पीड़ित छात्र एनएमसी की वेबसाइट के साथ-साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जैसे अन्य पोर्टलों पर मानसिक स्वास्थ्य और रैगिंग से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

iii. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियम जैसे मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियम, 2021 के तहत कॉलेजों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अपराधियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में खास तौर पर शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच एनटीएमएचपी/टेली मानस का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों, एम्स और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों से भी अनुरोध किया गया है कि वे छात्रों के बीच टेली मानस का प्रचार-प्रसार करें, ताकि वे किसी भी समय निःशुल्क और गोपनीय सहायता के लिए हेल्पलाइन का उपयोग कर सकें।

****